

**न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर**  
पीठासीन अधिकारी : श्रीकान्त व्यास, R.A.S.  
राजस्व वाद संख्या : 76/22 (वि.प्रा.पत्र)  
**GCMS No : 2022/216**

1. श्री खेमराज पिता रत्ता गुर्जर निवासी वीरधोलिया तह. मावली।
2. श्री रामलाल दत्तक पुत्र मोती गुर्जर निवासी वीरधोलिया तह. मावली।

.....प्रार्थीगण

**बनाम्**

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
2. पटवारी, पटवार हल्का वीरधोलिया तह. मावली।

.....विपक्षीगण

- उपस्थित—1.** श्री कल्याणसिंह राव, अधिवक्ता प्रार्थीगण।  
2. राजपेरोकार मावली, अधिवक्ता विपक्षीगण।

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

**—: निर्णय :—**

**दिनांक : 07.11.2022**

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम वीरधोलिया पटवार हल्का वीरधोलिया की आराजी नम्बर 455 किता 1 रकबा 0.5180 हेक्टेयर स्थित है, उक्त कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में हम प्रार्थीगण एवं अन्य सहखातेदारान के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी सं. 1 का 1/10 हिस्सा, प्रार्थी सं. 2 का 1/5 हिस्सा वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज होकर उक्त कृषि भूमि के हम प्रार्थीगण हिस्से अनुसार मालिक स्वामी है, तथा उक्त कृषि भूमि हम प्रार्थीगण के संयुक्त स्वामित्व व कब्जे उपयोग उपभोग में है, ताईद मे नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस साथ संलग्न हैं।
2. यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमि आराजी नम्बर 455 रकबा 0.5180 हेक्टेयर कृषि भूमि प्रार्थीगण के नाम वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, प्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि के हिस्से अनुसार मालिक स्वामी होकर उक्त कृषि भूमि हम प्रार्थीगण के हिस्से अनुसार संयुक्त स्वामित्व व कब्जे उपयोग उपभोग में है, हम प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि आराजी नम्बर 455 में आवागमन



का एक रास्ता 1994/456 एवं 1886/456 में उत्तरी दिशा की तरफ पूर्व से पश्चिम तक लम्बाई में हो उक्त रास्ता भूमि का हम प्रार्थीगण पिछले कई वर्षों से उपयोग उपभोग करते हुए आ रहे हैं। आराजी नम्बर 1994/456 व 1886/456 उक्त दोनों खसरा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज है, उक्त उपर वर्णित खसरा नम्बर की भूमि सरकारी भूमि हो उक्त भूमि की राज्य सरकार मालिक स्वामी हैं।

3. यह कि हम प्रार्थीगण अपनी उक्त कृषि भूमि आराजी नम्बर 455 में आवागमन हेतु आराजी नम्बर 1994/456 व 1886/456 उक्त दोनों खसरा भूमि में उत्तर दिशा की तरफ पूर्व से पश्चिम तक लम्बाई में लगभग 20 फीट चौड़ा रास्ता है, उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग पिछले कई वर्षों से अर्थात् पूर्वजों के समय से करते हुए आ रहे है, उक्त रास्ता भूमि का उपयोग उपभोग बैल, बैलगाडी, ट्रैक्टर, इत्यादि से फसल, घास एवं कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु पिछले कई वर्षों से करते हुए आ रहे है, हम प्रार्थीगण की भूमि में आवागमन का रास्ता उपर वर्णित आराजी नम्बर की सरकारी भूमि में से निकला हुआ हो उक्त भूमि की राज्य सरकार मालिक स्वामी है, उक्त रास्ता भूमि में हम प्रार्थीगण का हित सुखाधिकार हो हम प्रार्थीगण उक्त सरकारी भूमि में निकले हुए बीस फीट चौड़े रास्ते का उपयोग उपभोग सदीप से करते हुए आ रहे है, उक्त रास्ता भूमि हम प्रार्थीगण के पक्ष में रास्ता कायमी बाबत् आदेश प्रदान कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है, प्रार्थीगण माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेश की पालना करने को वचनबद्ध हैं।
4. यह कि हम प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला है, सुविधा संतुलन एवं अशोधनीय क्षति के बिन्दू भी हम प्रार्थीगण के पक्ष में है, प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि के हम प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है, हम प्रार्थीगण की भूमि में आवागमन का एकमात्र रास्ता सरकारी भूमि में से निकला हुआ होकर हम प्रार्थीगण उक्त रास्ता भूमि का उपयोग उपभोग करते हुए आ रहे है, हम प्रार्थीगण की भूमि में आवागमन का अन्य कोई रास्ता नहीं है, केवलमात्र हम प्रार्थीगण इसी रास्ता भूमि का उपयोग उपभोग करते हुए आ रहे है, उक्त रास्ता भूमि में हम प्रार्थीगण का हित एवं सुखाधिकार निहित होकर हम प्रार्थीगण अपनी उक्त कृषि भूमि में आवागमन हेतु उक्त सरकारी भूमि में निकले हुए रास्ते का उपयोग उपभोग पिछले कई वर्षों से करते हुए आ रहे हैं।

5. यह कि प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 11.04.2022 को तब उत्पन्न हुआ, तब मालूम हुआ कि हम प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि में आवागमन के रास्ते का राजस्व रेकार्ड में अंकन नहीं है, तब से उत्पन्न हो निरन्तर जारी है तथा कायमी रास्ता के प्रार्थना पत्र के लिए कोई म्याद मुकर्रर नहीं होने से अन्दर म्याद हो काबिल समायत न्यायालय आप हैं।
6. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के पक्ष में विरुद्ध विपक्षीगण इस अमर की डिक्री जारी फरमाई जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि आराजी नम्बर 455 रकबा 0.5180 हेक्टेयर कृषि भूमि प्रार्थीगण के नाम वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, प्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि के हिस्से अनुसार मालिक स्वामी होकर उक्त कृषि भूमि हम प्रार्थीगण के हिस्से अनुसार संयुक्त स्वामित्व व कब्जे उपयोग उपभोग में है, हम प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि आराजी नम्बर 455 में आवागमन का एक रास्ता 1994/456 व 1886/456 में उत्तरी दिशा की तरफ पूर्व से पश्चिम तक लम्बाई में हो उक्त रास्ता भूमि का हम प्रार्थीगण पिछले कई वर्षों से उपयोग उपभोग करते हुए आ रहे हैं। आराजी नम्बर 1994/456 व 1886/456 उक्त दोनों खसरा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज है, उक्त उपर वर्णित आराजी नम्बर की बिलानाम सरकारी भूमि की राज्य सरकार मालिक स्वामी हैं, उक्त बिलानाम गैर काबिल काश्त सरकारी भूमि में से रास्ता निकाल रास्ते का राजस्व रेकार्ड व नक्शा ट्रेस में किस्म रास्ता भूमि अंकन करवाया जाकर मौके पर रास्ता विपक्षीगण को उपलब्ध करवाया जावे व विपक्षीगण प्रार्थीगण के उक्त रास्ते के आवागमन करने, बैल बैलगाडी, ट्रैक्टर इत्यादि लाने ले जाने, रास्ते का उपयोग उपभोग करने में कोई हस्तक्षेप, बाधा उत्पन्न नहीं करे, न रास्ते को बन्द करें, रास्ता खुला रखे व प्रार्थीगण को रास्ते का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे। प्रार्थीगण के पक्ष में व विपक्षीगण के विरुद्ध इस अमर की डिक्री प्रदान करायी जावें।
7. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में हमने तहसीलदार मावली से बिन्दूवार रिपोर्ट प्राप्त की। राजपेरोकार द्वारा जवाब नहीं देना चाहकर बिन्दूवार रिपोर्ट को ही जवाब माना जाने का निवेदन किया।

8. हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण व राजपेरोकार की बहस सुनी। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया जाने पर सहमति व्यक्त की।
9. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण व राजपेरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार मावली से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :-

1. क्या प्रार्थीगण खातेदार की अपनी खातेदारी भूमि में जाने का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं तथा इसकी आत्यन्तिक आवश्यकता हैं ?

प्रकरण में तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण को अपनी आराजी नम्बर 455 में जाने के लिए मौके पर अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थीगण को उक्त रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता हैं।

2. क्या प्रार्थीगण खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी वाला हैं।

तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार जो रास्ता कायमी के लिए प्रस्तावित किया गया हैं। जो न्यूनतम दूरी का हैं।

3. यदि प्रार्थीगण खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य न्यूनतम दूरी वाला रास्ता उपलब्ध हो सकता हैं तो वह प्रस्तावित करें।

तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ते के अलावा न्यूनतम दूरी का अन्य कोई रास्ता नहीं होना बताया।

4. प्रस्तावित रास्ते में जाने वाली भूमि का रकबा, किस्म तथा वर्तमान डी.एल.सी. दर अनुसार मूल्यांकन प्रस्तुत करें, रास्ते की चौड़ाई भी अंकित की जावे।

तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण विपक्षीगण के आराजी नम्बर 1886/456 व 1994/456 किस्म बिलानाम बंजड बाडा में से 0.0092 हेक्टेयर भूमि रास्ते के लिए प्रयुक्त हो रही हैं जो 66 फीट लम्बाई व 15 फीट चौड़ाई हैं। जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर 8,67,190/- अक्षरे आठ लाख सतसठ हजार एक सौ नब्बे रूपयें प्रति हेक्टेयर हैं। जिस

आधार पर प्रस्तावित रास्ता 0.0092 हेक्टेयर की कुल कीमत 7,980/- अक्षरे सात हजार नौ सौ अस्सी रूपयें होना बताया है।

10. अतः उपरोक्त विवेचन एवं बिन्दूवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थीगण अपनी भूमि मौजा वीरधोलिया पटवार क्षेत्र वीरधोलिया की आराजी नम्बर 455 में आने जाने हेतु विपक्षीगण की भूमि आराजी नम्बर 1886/456 व 1994/456 में से होकर रास्ता चाह रहे हैं जो प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक जाता है, जिसका प्रार्थीगण लम्बे समय से उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करना बताया है। तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में 66 फीट लम्बाई व 15 फीट चौड़ाई का आराजी नम्बर 1886/456 व 1994/456 में से 0.0092 हेक्टेयर रास्ते हेतु प्रस्तावित किया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण के आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। न्यूनतम दूरी वाला 0.0092 हेक्टेयर का रास्ता प्रस्तावित किया गया है। अन्य कोई रास्ता नहीं होने से खातेदार को आने जाने के लिए सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है।
11. प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु विपक्षीगण की जिस भूमि में से रास्ता चाह रहा है, वह वर्तमान में बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज है। चूंकि प्रार्थीगण के भूमि में आने जाने हेतु बिलानाम भूमि के अतिरिक्त अन्य किसी भूमि में से होकर कोई रास्ता नहीं गुजरता है। इस हेतु राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के क्रमांक प.3 (52) राज-0/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 से कृषि भूमि में आने जाने हेतु रास्तें कायमी बाबत् बिलानाम सरकार भूमि में से रास्ता दिया जाने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता है।

### —: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा वीरधोलिया पटवार हल्का वीरधोलिया तह. मावली की आराजी नम्बर 455 रकबा 0.5180 हेक्टेयर में आने जाने हेतु विपक्षीगण की आ.न. 1886/456 व 1994/456 में से 0.0092 हेक्टेयर भूमि संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में ए से बी तक 66 फीट लम्बाई व 15 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी

आराजीयात तक कायम किया जावें। इस प्रकार रास्तें में आने वाली भूमि की राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (गुप-6) विभाग के क्रमांक प.3 (52) राज-0/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के अनुसार डीएलसी दर 8,67,190/- अक्षरे आठ लाख सतसठ हजार एक सौ नब्बे रूपयें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता 0.0092 हेक्टेयर की कुल कीमत 7,980/- का दुगुना 15,960/- रूपयें पन्द्रह हजार नौ सौ साठ रूपयें राशि प्रार्थीगण से वसूल कर राजकोष में जरिये चालान क्षतिपूर्ति के रूप में जमा करवाई जावें। उक्त राशि राजकोष में जमा कराने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्तें पर प्रार्थीगण का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 07.11.2022 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

( श्रीकान्त व्यास )  
सहायक कलक्टर  
(SDO) मावली